न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या – 240 / 2022

पार्थी	बनाम	विपार्थीगण
दीपी पुत्री धनाराम पत्नि किशनाराम जाति जाट निवासी अभाणियों का सरा (चवा) हाल त्रिशुलिया खरंटिया तहसील सिणधरी		1 चेतनराम पुत्र धनाराम तहसील सिणधरी निवासी त्रिशुलिया खरंटिया तहसील सिणधरी 2 तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 2 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 13.12.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी 01 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 151/80 रकबा 25.4997 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108, 79 रकबा 13.4699, 0.0647 हैक्टेयर,मौजा–त्रिशुलिया, पटवार मंडल–खंरटिया, तहसील –सिणधरी में आया हुआ है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा उनके पिता स्व. श्री धनाराम के देहान्त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारिसान होने पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार सह खातेदार के हो गयी। स्व. धनाराम के देहान्त पर उत्तराधिकार का प्रथम नामान्तकरण संख्या 31 भरा जाता है जिसमें धनाराम को दिनांक 11–06–1977 को फौत होना बता कर उनके वारिशान में पदमाराम जो नाबालिग बेटा था जिसका नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता था, और बाद में पदमाराम मात्र दो वर्ष की आयु में ही फौत हो जाता है और बाद में नामान्तकरण संख्या 36 भरा जाता है जिसमें पुरों पत्नी धनाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है यह नामान्तकरण सही भरे गये थे हालाकि इसमें दीपी पुत्री धनाराम का नामान्तकरण नही भरा गया था। और बाद में नामान्तकरण संख्या 54 भरा जाता है जिसमें पुरों पत्नी धनाराम को फौत बताकर चेतनराम पुत्र धनाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है यह नामान्तकरण गलत रूप से भरा गया था, जबकि चेतनराम पुत्र जेठाराम है और उक्त नामान्तकरण किसकी सूचना पर खोला जाकर तस्दीक हुआ इसका ज्ञान प्रार्थिया को नही है और न ही प्रार्थीनी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पंचायत के द्वारा विरासत के नामान्तकरण की जांच बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ। पुरो पत्नी धनाराम के फौतगी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 ने पटवारी से मिलकर उनकी जाईन्दा पुत्री दीपी को वारीसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। जबकि धनाराम व उसकी पत्नी पुरो के देहान्त के बाद उनके वारीसान में दीपी पुत्री धनाराम का उपरोक्त आरजी में खातेदारी अधिकार पैदा हो चुके थे। कि आवेदन पत्र के पद संख्या 03 में अंकित भूमि मे प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या । का अपने हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है। तथा इसी तरह से मौके अन्य पक्षकारान का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थी अनपढ व औरत जात होने के कारण इतने दिनो तक उन्हें अपना नाम खातेदारी में दर्ज होने का ज्ञान रहा और न ही विप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आज से करीबन सप्ताह भर पूर्व विप्रार्थी संख्या । ने अपने नाम से प्रविष्टि का अनुचित लाभ उठाते हुए वादग्रस्त आरजी में से कुछ भूमि का बेचान करने पर उतारू है उक्त बेचान का प्रार्थी ने विरोध किया तो उक्त विप्रार्थी संख्या 01 ने धमकी दी और कहा की उक्त आरजी मेरी है मुझे बेचने से कोई नही रोक सकता है तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपनेखेत के राजस्व रेकर्ड की नकले ली तब पता चला की प्रार्थी का नाम रेकर्ड में दर्ज नही है। कि अब विप्रार्थी अपनी धमकी के अनुसार उक्त भूमि में से किसी को अपने नाम से गलत इन्द्राज के आधार पर अपने हिस्से का बेचान करने पर प्रार्थीया के हितो पर भारी कुठाराघात होगा और अनावश्यक रूप से मामलें बढ़ेगें जिसे रोकना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिये उक्त खसरों पर रेकर्ड की यथा स्थिति बनायें रखने का स्थगन प्राप्त करना आवश्यक हो गया है, कि प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीण क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में संम्भव नही है तथा प्रार्थीया के वाद लाने का मकसद ही खत्म हो जायेगा। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थी के विरुद्ध खसरा संख्या खसरा संख्या 151/80 रकबा 25.4997 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108, 79 रकबा 13.4699, 0.0647 हैक्टेयर मौजा त्रिशुलिया, पटवार मंडल–खंरटिया, तहसील–सिणधरी भूमी में किसी प्रकार का नया निर्माण यथा बैचान इत्यादि नहीं कर रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने करने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायें।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी 01 का संयुक्त एवं पैतुक कब्जे काश्त का खेत खसरा संख्या 151/80 रकबा 25.4997 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108, 79 रकबा 13.4699, 0.0647 हैक्टेयर,मौजा–त्रिशुलिया, पटवार मंडल–खंरटिया, तहसील –सिणधरी में आया हुआ है। उक्त भूमि में प्रार्थी का [illegible] हिस्सा उनके पिता स्व. श्री धनाराम के देहान्त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारि[illegible] हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] के अनुसार सह खातेदार के हो गयी। स्व. धनाराम के देहान्त पर उत्तराधिकार का प्रथम नामान्तकरण संख्या 31 भरा जाता है जिसमें धनाराम को दिनांक 11–06–1977 को फौत होना बता कर उनके वारिशान में पदमाराम जो नाबालिग बेटा था जिसका नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता था, और बाद में पदमाराम मात्र दो वर्ष की आयु में ही फौत हो जाता है और बाद में नामान्तकरण संख्या 36 भरा जाता है जिसमें पुरों पत्नी धनाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है यह नामान्तकरण सही भरे गये थे हालाकि इसमें दीपी पुत्री धनाराम के नाम से नामान्तकरण नही भरा गया था। और बाद में नामान्तकरण संख्या 54 भरा जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

जिसमें पुरों पत्नी धनाराम को फौत बताकर चेतनराम पुत्र धनाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है यह नामान्तकरण गलत रूप से भरा गया था, जबकि चेतनराम पुत्र जेठाराम है और उक्त नामान्तकरण किसकी सूचना पर खोला जाकर तस्दीक हुआ इसका ज्ञान प्रार्थिया को नही है और न ही प्रार्थीनी को पंचायत के द्वारा विरासत के नामान्तकरण की जांच बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ। पुरो पत्नी धनाराम के फौतगी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 ने पटवारी से मिलकर उनकी जाईन्दा पुत्री दीपी को वारीसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी सं. 1 के पैतृक खातेदारी का है जो उसे पैतृक रूप से मुतवफी धनाराम के उत्तराधिकार की हैसियत से विरासत में प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीनी का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहीत हो गया है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदौबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक एवं खातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीनी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा–त्रिशुलिया, पटवार मंडल–खंरटिया, तहसील –सिणधरी के खेत खसरा संख्या 151/80 रकबा 25.4997 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108, 79 रकबा 13.4699, 0.0647 हैक्टेयर भूमी में प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी